

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल-
पीआरवी 5998 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत हनुमान मन्दिर के पास से कालर द्वारा मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक (01. पवन पुत्र पाँचू सा0 मरवटिया उतरावल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 शशिभानु मणि त्रिपाठी, का0 मनीष कुमार सिंह, हो0चा रसीद अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 375 वाहनों से 4,44,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 375 वाहनों से 4,44,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा श्री अमित कुशवाहा की गठित टीम द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत द्वारा मु0अ0सं0 410/2026, धारा 64 (1) 352, 351 (3), बीएनएस व धारा 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2) (v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त ताजुदीन उर्फ बादशाह पुत्र इन्सान अली निवासी बूधाकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को ग्राम थुरण्डा नहर पुलिया से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 11.10.2026 को वादिनी द्वारा थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। थाना दुधारा पुलिस द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए ताजुदीन उर्फ बादशाह को नियमानुसार आज दिनांक 12.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, हे0का0 विनोद यादव, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेष।